संख्या-1/2016/1490/18-1-2016-9(नि0)/14टी0सी0

प्रेषक,

अखिलेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन लखनऊ।

2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4-समस्त प्रबंध निदेशक,
सार्वजनिक उपक्रम/निगम, उ0प्र0।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 06 अक्टूबर,2016

विषयः- उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर को "मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी" के रूप में देय सेवा शुल्क में कमी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों एवं उपक्रमों को सुनियोजित तरीके से मैनपावर उपलब्ध कराने, उपयुक्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा विभिन्न श्रम संविदा नियमों, कर्मचारी कल्याण नियमों व अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं निगम की आय की स्रोतो में वृद्धि के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1753/18-1-2014-9(नि0)/14, दिनांक 27-10-2014 द्वारा विभिन्न विभागों, निगमों एवं उपक्रमों हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेन्सी नामित किया गया है। विषयगत शासनादेश दिनांक 27-10-2014 के प्रस्तर-9 में निगम के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्तित किये गये कार्मिकों को दिये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत सेवा शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- निगम की दरों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने तथा शासकीय विभागों में मितव्ययिता के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संदर्भित शासनादेश संख्या-1753/18-1-2014-9(नि0)/14, दिनांक 27-10-2014 के प्रस्तर-9 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा माँगे गये कार्मिको के क्रम में आपूर्ति किये जाने की दशा में कार्मिको को दिये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का प्रतिशत 05 सेवा शुल्क के रूप में लिया जायेगा।"

3- कृपया शासनादेश संख्या-1753/18-1-2014-9(नि0)/14, दिनांक 27-10-2014 संशोधित समझा जाय। संदर्भित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अखिलेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्याः 1/2016/1490(1)/18-1-2016-9(नि0)/14टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं :आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर।
4- वित्त 6-अनुभाग (व्यय नियंत्रण), उ0प्र0 शासन।
5- कार्मिक/सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अखिलेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।